



13

माननीय न्यायालय राजस्व परिषद ग्वालियर। कैम्प उज्जैन।
प्रकरण क्रमांक 13-14 निगरनी R 2112-13

R 2112-11r

जालमसिंह पिता भेरूसिंहजी जाति कुल्मी
आयु 82 वर्ष निवासी ग्राम सिरोलिया तेहसील
व जिला उज्जैन 2112-13-आवेदक

विरुद्ध

- 1:- पूना पिता धन्नाजी जाति चमार निवासी ग्राम
सिरोलिया तेहसील व जिला शाजापुर
शिकायतकर्ता - प्रार्थी
- 2:- दौलतसिंह
- 3:- सवाईसिंह
- 4:- जगदीश पुत्रगण भेरूसिंहजी जाति कुल्मी
निवासीगण ग्राम सिरोलिया तेहसील व जिला
शाजापुर - अनावेदक

R 2112-11B

दिनांक 29-4-2013
29-4-13
मुद्रा-बंद
उप-भाग

29-4-13
29-4-13

318
29/4/2013

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

56

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R. 3.13.1/2013.. जिला शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-07-14 उज्जैन कैंप	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री दिनेश जैन उपस्थित। उन्हे ग्राह्यता पर युक्त।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर उस्तुत कर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपर फायुम्न न्यायालय द्वारा जारी आदेश दि- 31-01-2013 की खत्यप्रतिलिपी का अवलोकन किया गया जिससे दुरती होकर आवेदक द्वारा यह निगरीनी इस न्यायालय के समक्ष उस्तुत की गई है।</p> <p>3- उक्त का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त द्वारा क्लैकट द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप नहीं किया है, जो उचित है। आवेदक द्वारा ऐसा कोई आकार उस्तुत नहीं किया गया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रथमदृष्टया यह निगरीनी आधार विज्ञापन होने से खत्यप्रतिलिपी की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">पुशासनाप सदस्य</p>	